RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 मार्च, 2015 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 11, अंक : 10

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

हमें आशा है कि इस समय तक आप अपना कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह भर चुके होंगे। हमें पूरे उत्तर प्रदेश से ही नही वरन पूरे भारत से यह समाचार मिल रहा है कि आलू की फसल बहुत अच्छी है। सभी आलू उत्पादन करने वाले प्रान्तों से अच्छी फसल के समाचार हैं। देश के आलू भण्डारण करने वाले सभी शीतगृहों के भर जाने कि आशा की जा रही है। कुछ प्रान्तों में तो आलू बाहर भी बचा रहने की सम्भावना है।

इस वर्ष आलू भण्डारण के लिए एक अच्छा समाचार यह भी है कि पूरे मार्च में मौसम ठण्डा रहा है जिस कारण आलू की अधिकांश भराई ठण्डे मौसम में हुई है परन्तु साथ–साथ एक समस्या यह भी उठ खड़ी हुई हैं कि माह मार्च के बीच–बीच वर्षा हो जाने से आलू भीग गया है जिसका यदि भीगी दशा में शीतगृहों में भण्डारण कर दिया गया होगा तो खराब होने की सम्भावना भी हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टी भी हुई है जिस कारण से कुछ आलू को नुकसान भी पहुँचा है।

इस वर्ष भण्डारण में व्यापारियों ने व शीतगृहस्वामियों ने स्वयं का आलू भण्डारण करने मे रूचि कम दिखाई है। अधिकांश भण्डारण आलू कृषकों द्वारा ही किया गया है। इस वर्ष शीतगृहों में आलू

पर लोन की मात्रा भी काफी कम रखी है। कुछ जगहों पर जरूर लोन अधिक मात्रा में दिए जाने के समाचार है परन्तु ऐसी जगह बहुत कम है। हमारी शीतगृहस्वामियों को यह सलाह है कि आलू की अधिक मात्रा के भण्डारण को देखकर वह समय रहते आलू की निकासी की ओर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा।

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा अन्य प्रान्तों को आलू भेजे जाने पर भाडे पर सब्सिडी :

बडी खुशी की बात है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने आलू भण्डारण पर कुछ स्थानों पर 134 रुपया व कुछ स्थानों पर 136 रूपया प्रति कुन्तल का रेट घोषित कर दिया है। यह एक सराहनीय कदम है जिसका हम स्वागत करते हैं। सरकारी आदेश को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे है।

"Rent for storage of potatoes in the cold storages is fixed at Rs. 134.00 (Rupees One hundred thirty-four) only per quintal for the districts within Presidency Division and Burdwan Division of West Bengal and Rs. 136.00 (Rupees One hundred thirty-six) only per quintal for districts within Jalpaiguri Division of West Bengal during potato season year 2015 until further order."

Rental fixed for the year 2015 is inclusive of all loading and unloading charges insight cold storage which will be paid directly by the hirers on actual basis".

This will take immediate effect.

By Order of the Governor

Subrata Biswas

Principal Secretary to the Government of West Bengal

No. 3621(10)-AM/O/4C-01/2013 Dated, Kolkata, the 9th March, 2015

Government of West Bengal

Agricultural Marketing Department

Khadya Bhawan, Block-B, 4th Floor

11-A, Mirza Ghalib Street, Kolkata-700087

Telefax : 033-22520574

No. 373-AM/P/2M-01/2015 Dated, Kolkata, the 10th March, 2015

ORDER

Whereas, as a result of higher production of potato during 2014-2015 potato season farmers are not getting remunerative prices in West Bengal.

Whereas, the abovementioned situation has been closely monitored by the State Government and under the current circumstances, it is felt that Department of Agricultural Marketing should make a quick market intervention by way of encouraging Inter-State Potato trade to clear the excess stock so that field level price of potato becomes remunerative.

Hence, the Governor is pleased to allow administrative approval towards transport subsidy @ Rs. 50.00 per quintal towards railway freight or the actual railway freight whichever is less to the Inter-State potato traders/transporters after submission of claims with production of railway receipt. The scheme will be valid up to 30.6.2015 with immediate effect.

The charges involved is debitable to the head of account "2435-01-800-SP-002-V-50" (Scheme for Export Promotion of Agricultural Commodity) during the financial year 2014-2015.

This order issues with the concurrence of the Finance (Audit) Department, Group-A1 vide U.O. No. A-1/2014-15/0207 dated 9.3.2015.

All concerned are being informed.

Subrata Biswas
Principal Secretary to the
Government of West Bengal

इस आदेश के बाद पश्चिमी बंगाल सरकार ने 50 रूपए प्रति कुन्तल के रेल भाड़े मे छूट देने की घोषणा की है जो कि उस आलू पर दिया जायेगा जो कि पश्चिमी बंगाल से अन्य प्रदेशों को भेजा जायेगा। आपको ज्ञात होगा की इस समय पश्चिमी बंगाल में अब तक के आलू उत्पादन के कारण आलू का रेट 150 रूपए कुन्तल (खेत में खुदने पर) की दर तक पहुँच गया है। इससे वहाँ का आलू उत्पादक अत्यधिक परेशान है। इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

आलू निर्यात सम्बन्धी :

आलू की पैदावार देख केन्द्र सचेत :

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दिनांक 24.3.2015 आलू की बंपर पैदावार को देखते हुए घरेलू बाजार में कीमतें धराशायी होने से पहले ही सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए

है। इससे आलू किसानों को उचित व बेहतर मूल्य मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने आलू निर्यात पर थोपे गए एमईपी न्यूनतम निर्यात मूल्य के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। इसका असर निर्यात पर दिखाई देने लगा है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आलू की माँ ग को देखते हुए निर्यात संभावनाएँ बढ़ी है। अप्रैल से दिसम्बर के बीच आलू का निर्यात पिछले साल कि इसी अवधी के मुकाबले बढ़कर दो गुना हो गया है। चालू रबी सीजन में आलू कि बपंर पैदावार होने का अनुमान है। आलू कि पैदावार में 25 से 30 फीसद तक कि वृद्धि हो सकती है। बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत कम। आलू कि उत्पादक मण्डियों में आलू 400 से 450 रूपये प्रति क्विंटल कि दर से बिक रहा है। चालू सीजन में ही आलू का निर्यात 2.5 लाख टन हो गया है, जो पिछले साल इसी अवधि में 1.28 लाख टन था। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास फाउण्डेशन की ओर से जारी आकड़ो में यह जानकारी दी गई है। अप्रैल से दिसम्बर कि अवधि में मूल्य के हिसाब से आलू का निर्यात 595 करोड़ रूपये का हुआ था। पिछले वर्ष कि समान अवधि में यह आंकड़ा सिर्फ 140 करोड़ रूपये का था। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 1.66 लाख टन आलू निर्यात किया गया। इससे 209 करोड़ रूपये कि विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी। आलू निर्यात में वृद्धि तब शुरू हुई जब केन्द्र सरकार ने पिछले महीने न्यूनतम निर्यात मूल्य कि बाध्यता समाप्त कर दी। घरेलू स्तर पर महँगाई को देखते हुए आलू का एमईपी जून, 2014 मे बढ़ाकर 450 डॉलर प्रति टन कर दिया गया था। लेकिन आलू की घरेलू पैदावार में वृद्धि का अनुमान आने व कीमत के नीचे जाने की संभावना को देखते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने एमईपी की बाध्यता हटा ली है। आलू निर्यात पर एमईपी के हटाने के फैसले से किसानों को उनकी उपज के उचित व बेहतर मूल्य का रास्ता साफ हो गया है।

बिजली सम्बन्धी :

हमने अपने समस्त उपाध्यक्षों को पत्र लिखकर सब सदस्यों से यह माँग करी है कि उन्हें बिजली में जमा करी हुई सिक्योरिटी पर सही ब्याज मिल रहा है या नहीं। ब्याज का यह चार्ट हम यहाँ पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने सदस्यों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने बिलों को इस चार्ट के अनुसार चेक कर लें। यदि कोई कमी हो तो हमें तुरन्त सूचित करें। हालाकि हमने अपने पहले पत्र में अधिकतम 10 दिन का टाइम दिया था परन्तु फिर भी जो सदस्य हमें विलम्ब से सूचित करेंगे उनका केस हम अलग से ले जाकर उत्तर प्रदेश विद्युत नियक आयोग में प्रस्तुत करेंगे जिससे उनको भी सही न्याय मिल सके।

Bank Interest Rate by RBI :

Effective Date	Applicable Till	Bank Rate
14.09.06	12.02.12	6.00%
13.02.12	16.04.12	9.50%
17.04.12	29.01.13	9.00%
30.01.13	18.03.13	8.75%
19.03.13	02.05.13	8.50%
03.05.13	17.07.13	8.25%
15.07.13	19.09.13	10.25%
20.09.13	06.10.13	9.50%
07.10.13	28.10.13	9.00%
29.10.13	27.01.14	8.75%
28.01.14	Now	9.00%

उत्तर प्रदेश रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट नीति–2014 :

1. प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से एक है जिनमें विद्युत की खपत अत्यधिक है। कोयले के सीमित भण्डारों में तेजी से हो रहे ह्रास तथा अन्य प्रकार के पारम्परिक ईंधन की अपर्याप्त अपूर्ति के दृष्टिगत, विद्युत उत्पादन के उपलब्ध प्रत्येक संभावित विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। इन परिस्थितियों में राज्य में भविष्य में ऊर्जा की पूर्ति हेतु अक्षय ऊर्जा संसाधनों से विद्युत उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

राज्य में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की अपार संभावनायें है। राज्य के अधिकांश भागों में दैनिक औसत 5.0 से 5.5 किलोवाट घण्टा/वर्ग मीटर की सौर विकिरण प्राप्त होता है, जोकि सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त है। तदनुसार प्रदेश सरकार द्वारा मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सौर पावर प्लाण्टस की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा नीति–2013 घोषित की गयी है।

प्रदेश सरकार समान रूप से ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की

स्थापना के अनेक संभावित लाभ है जैसे कि जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन पर निर्भरता में कमी, भवनों की छतों एवं आस–पास की रिक्त भूमि का इष्टतम उपयोग, पारेषण एवं वितरण अवस्थापना पर होने वाले निवेश में बचत, पारेषण नेटवर्क हानियों में कमी तथा विद्युत अनुसूचीकरण (शिडयूलिंग) के प्रबन्धन की लागत में कमी। उपरोक्त संभावित लाभों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट नीति–2014 घोषित एवं अंगीकृत की जाती है।

2. उद्देश्य

1. राज्य में सोलर क्षमता परिवर्धन में एवं ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करना।
2. राज्य में उपलब्ध सौर ऊर्जा संसाधन का इष्टतम उपयोग करना।
3. सतत् विकास के लिए पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना।
4. ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कमी में योगदान करना।
5. सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेश की भागीदारी को बढ़ावा देना।
6. सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक प्लाण्टस की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण सृजन करना।
7. सौर ऊर्जा क्षेत्र में विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास हेतु निवेश में येागदान करना।
8. कौशल वृद्धि एवं रोजगार के अवसरों को सृजित करना।
9. उपलब्ध भूमि के उत्पादक उपयोग में येागदान करना।
10. जन–साधारण में पर्यावरण जागरूकता का विस्तार करना।

3. संचालन अवधि

यह रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्टर नीति जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक प्रभावी होगी। नीति के संचालन अवधि स्थापित और कमिशन किये गये रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट ही इस नीति में प्राविधानित लाभ के पात्र होंगे।

4. योजना का कार्यान्वयन

(अ) प्रदेश सरकार द्वारा कैपटिव उपयोगार्थ/स्वयं के उपभोग हेतु ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा। यह रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट नेट इनर्जी मीटरिंग/नेट इनर्जी बिलिंग क्रिया विधि पर आधारित होगी।

(ब) 50 किलोवाट क्षमता तक के रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्टर की स्थापना नेट इनर्जी मीटरिंग क्रिया विधि पर की जायेगी तथा 50 किलोवाट क्षमता से अधिक क्षमता के सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना नेट इनर्जी बिलिंग क्रिया विधि पर की जायेगी।

सरकारी/सार्वजनिक संस्थान

(i) प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों/अर्ध सरकारी संस्थानों/सरकारी स्वैच्छिक संस्थान/सहायता प्राप्त संस्थान/प्रतिष्ठान के कार्यालय भवनों में कैपटिव उपयोगार्थ सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।

(ii) इन सरकारी/सार्वजनिक संस्थानों द्वारा अपने वार्षिक विद्युत खपत का कुछ प्रतिशत की पूर्ति के लिए रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना करायी जायेगी और सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत का स्वयं उपभोग किया जायेगा।

(iii) इन सरकारी/सार्वजनिक संस्थानों द्वारा आवश्यक रूप से अपने कार्यालय भवन के उपलब्ध कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत क्षेत्रफल का उपयोग रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए किया जायेगा।

(iv) प्रदेश सरकार द्वारा ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए फण्ड उपलब्ध कराये जा सकते है।

निजी संस्थान

प्रदेश सरकार द्वारा निजी संस्थानों को परिसर में भवनों की छत पर कैपटिव उपयोगार्थ उपयुक्त क्षमता के रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

5. इकाई पात्रता

कोई भी व्यक्ति, अनिगमित अथवा निगमित कम्पनी/निकाय/संघ अथवा व्यक्तियों का संगठन रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए पात्र होगा। उपयुक्त पात्रों द्वारा सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) से सम्पर्क किया जायेगा। इन सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा उसकी नामित नोडल अभिकरण द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों एवं विशिष्टताओं के अनुरूप कैपटिव उपयोगार्थ करायी जायेगी।

6. लक्ष्य

नीति का संचालन अवधि में राज्य द्वारा कुल 20 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की प्राप्ति निम्नवत लक्षित है :–

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2016–2017
सार्वजनिक प्रतिष्ठान	मेगावाट	10.0
निजी प्रतिष्ठान	मेगावाट	10.0
योग	मेगावाट	20.0

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर लक्ष्यों की समीक्षा की जायेगी और राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकास के आधार पर लक्ष्यों में परिवर्तन किया जा सकता है।

7. अनुदान

भारत सरकार से सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों/प्रतिष्ठानों में रूफ टाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना पर अनुदान उपलब्ध होने की दशा में उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा अनुदान को प्राप्त करने में सहायता की जायेगी।

8. नोडल एजेन्सी की भूमिका

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिरकण (यूपीनेडा) द्वारा प्रदेश में ग्रिड संयोजित सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए नोडल एजेन्सी होगी। नोडल एजेन्सी द्वारा फोटोवोल्टाईक ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए योजना तैयार की जायेगी। नोडल एजेन्सी द्वारा पात्र संस्थाओं को प्लाण्ट स्थापना में सहायता हेतु निम्न सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी :

(अ) सब्सिडी/सहायता प्राप्त करने की सुविधा

भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराये जा रहे अनुदान को प्राप्त करने के लिए यूपीपीसीएल/इकाई पात्र की सहायता की जायेगी।

(ब) सिस्टम इन्ट्रीग्रेटर को सूचीबद्धता

नोडल एजेन्सी द्वारा नीति के अन्तर्गत लक्षित क्षमता की प्राप्ति के लिए सिस्टम इन्ट्रीग्रेटर्स को सूचीबद्ध किया जायेगा। नोडल एजेन्सी द्वारा समय–समय पर इनके कार्य की समीक्षा भी की जायेगी।

(स) स्थलों का चिन्हांकन

नोडल एजेन्सी द्वारा सार्वजनिक/सरकारी संस्थाओं को सौर पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए छत पर उपयुक्त स्थल के चिन्हिकरण करने में सहायता की जायेगी। नोडल एजेन्सी द्वारा उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए अल्प सेवा शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। नोडल एजेन्सी द्वारा निजी संस्थानों को अपने भवनों की छतों पर सौर पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए भी उपयुक्त सहायता प्रदान की जायेगी।

(द) क्षमताओं का आवंटन के लिए बिडिंग

नोडल एजेन्सी द्वारा स्थापना हेतु सिस्टमस इन्टीग्रेटर्स को सोलर पावर प्लाण्ट की कुल क्षमता के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग सम्पादित की जायेगी। यह बिडिंग प्रत्येक शहर हेतु पृथक रूप से की जायेगी।

(य) सुगमतापूर्वक सोलर पावर अपनाने के लिए प्रोटोकोल/प्रक्रियाये को तैयार करने में सहायता

सोलर पावर प्लाण्ट को सुगमतापूर्वक स्थापित कराया जा सके, इसके लिए राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी डिस्काम को मीटरिंग, ग्रिड संयोजन संबंधी प्रोटोकोल और प्रक्रियायें तथा पावर परचेज अनुबन्ध इत्यादि तैयार करने में सहायता।

(र) शुल्क एवं अन्य चार्जेज का निर्धारण

नोडल एजेन्सी द्वारा समय–समय पर संबंधित स्टेक होल्डर्स से परामर्श उपरांत नीतिगत ढाँचे को संचालन करने के लिए शुल्क एवं चार्जेज का निर्धारण एवं संस्तुति।

(ल) शासनादेश को पारित कराना

रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक शासनादेश पारित कराये जायेंगे।

(व) रेग्यूलेटरी फ्रेम वर्क तैयार करने में सहायता

रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की बड़े पैमाने पर स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को आवश्यक रेग्यूलेटरी फ्रेम वर्क की घोषणा हेतु सहायता।

(च) उच्चस्तरीय समिति से अनुमोदन

नोडल एजेन्सी द्वारा समय–समय पर उच्च स्तरीय समिति से नीति के संचालन संबंधी दिशा–निर्देश एवं बिडिंग हेतु अनुमोदन प्राप्त करना।

9. मीटरिंग व्यवस्था

रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट का ग्रिड से संयोजन 415 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज स्तर पर प्रस्तावित होने की स्थिति में मीटर्स का प्रकार एवं मीटरिंग व्यवस्था केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (इन्स्टालेशन एण्ड आपरेशन ऑफ मीटर्स) रेग्यूलेशन 2006 एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (इन्स्टालेशन एण्ड ऑपरेशन ऑफ मीटर्स) संशोधित रेग्यूलेशन 2010 अथवा समय–समय पर जारी संशोधन के अनुसार किया जायेगा।

रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट का ग्रिड से संयोजन 415 वोल्ट अथवा उससे नीचे वोल्टेज स्तर पर प्रस्तावित होने की स्थिति में मीटर्स का प्रकार एवं मीटरिंग व्यवस्था केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (इन्स्टालेशन एण्ड आपरेशन ऑफ मीटर्स) संशोधित रेग्यूलेशन 2013 अथवा समय–समय पर जारी संशोधन के अनुसार किया जायेगा।

10. निकासी वोल्टेज

सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत की निकासी वोल्टेज निम्नवत होगी :–

संयंत्र की क्षमता	निकासी वोल्टेज
5 किलोवाट से नीचे	सिंगल फेस, लो वोल्टेज
> 5 किलोवाट – 50 किलोवाट	थ्री फेस, 415 वोल्ट
> 50 किलोवाट – 2.0 मेगावाट	6.6 के.वी./11 के.वी.
> 2.0 मेगावाट – 5 मेगावाट	11 के.वी./33 के.वी.

11. ग्रिड संयोजन की प्रक्रिया

इस नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाले रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की ग्रिड संयोजन की प्रक्रिया राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी (डिस्काम) द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार एवं यूपीईआरसी से अनुमोदन के अनुसार होगी। राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी (डिस्काम) द्वारा रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की ग्रिड संयोजन प्रक्रिया तैयार करते हुए यूपीईआरसी को विचार करने एवं अंतिमीकरण के लिए आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जायेगी।

12. वित्तीय व्यवस्था

राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त बजटीय मद में विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन एवं सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त संसाधनों में सोलर रूफटाप पावर प्लाण्ट स्थापित करने हेतु वार्षिक रूप से फण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे।

13. उच्च स्तरीय समिति

इस नीति में उत्पन्न विभिन्न प्रकरणों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समाधान हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जायेगा। समिति के निम्न सदस्य होंगे :–

- ❑ मुख्य सचिव — अध्यक्ष
- ❑ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त — सदस्य
- ❑ सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत — सदस्य
- ❑ सचिव/प्रमुख सचिव, वित — सदस्य
- ❑ सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन — सदस्य

❑ सचिव/प्रमुख सचिव, आवास	सदस्य
❑ सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
❑ सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा	सदस्य
❑ प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल	सदस्य
❑ प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीटीसीएल	सदस्य
❑ प्रबन्ध निदेशक, संबंधित डिस्काम	सदस्य
❑ निदेशक यूपीनेडा	सदस्य सचिव

14. बैठकों की आवृती

समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर एवं जब भी आवश्यक हो आयोजित की जायेगी।

15. उच्च स्तरीय समिति के कार्य

समिति द्वारा निम्न प्रकरणों पर विचार एवं निर्णय किया जायेगा।

(अ) ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना में आ रही मुख्य कठिनाइयों का समाधान।

(ब) रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए सिस्टम्स इन्टीग्रेडर्स के चयन एवं सूचीबद्धता हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान करना।

(स) सोलर पावर प्लाण्ट की ग्रिड संयोजन सुविधा संबंधी प्रकरणों का समाधान।

(द) समय–समय पर आने वाले अन्य अर्न्तविभागीय प्रकरणों का समाधान।

(य) अन्य कोई प्रासंगिक विषय।

बिक्री हेतु

मीरजापुर आइस एवं कोल्ड स्टोरेज, पुलिस लाइन रोड, मीरजापुर (उत्तर प्रदेश) मोबाइल नम्बर : 9415272621 की मशीनरी उपलब्ध है। कोल्ड स्टोरेज व बर्फ खाने में लगे हुए प्रत्येक उपकरण जैसे कम्प्रेसर्स, इलेक्ट्रानिक, मोटर, स्टार्टर, मेन स्विच, अमोनिया रिसीवर, बंकर क्वायल, आइस प्लाण्ट क्वायल, आइस केन, डिफ्यूजर व विभिन्न अमोनिया वाल्वस आदि पूर्णतया कार्यशील स्थिति में है।

यह सामान किफायती दामों में बेचा जा सकेगा। खरीदार उपरोक्त पते या मोबाइल नम्बर : 9415272621 पर श्री शारदा नाथ अग्रवाल जी से सम्पर्क करें।

अलीगढ़ में हुई मीटिंग के सम्बन्ध में :

जैसा की आप जानते हैं इस प्रकार की मीटिंग भण्डारण प्रभार के दिशा निर्देश के सम्बन्ध में की जाती है जो कि दो वर्षों से अलीगढ़ में की जाती रही है। इसका निर्वाह बहुत ही सफलतापूर्वक अलीगढ़ व हाथरस के सदस्यों ने किया। हम पिछले अंक में इसका विवरण दे चुके हैं। इस मीटिंग में खीचे गए कुछ फोटो हम यहाँ दे रहे हैं।

दीप
प्रज्वलन

(13) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मार्च, 2015

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@fcaoi.org , Website : http://www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Ashish Guru,** Senior Vice President, **Rampada Paul** - Vice President (North),
Mukesh Kr. Aggarwal - Vice President (Delhi) and Co-ordinator Government Affairs, **B.L. Jaju** - Treasurer and Dir. Incharge and Finance Controller,
S.N. Ashraf - Jt. Secy. and Dir. Coordination, **Kulwant Singh Saini** - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - Hony. Secretary,
Bhuvesh Agarwal - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South),
Rakesh Garg - Co-ordinator Government and International Affairs

TOGETHER WE PROGRESS

सभी आलू उत्पादन करने वाले प्रान्तों में आलू की फसल काफी अच्छी बताई जा रही है।

मध्य प्रदेश :

मध्य प्रदेश से वहाँ के अध्यक्ष, श्री हंसमुख जैन गांधी, लिखते है कि मध्य प्रदेश में करीब सब शीतगृह फुल हो जायेंगे और भण्डारण कार्य 30 मार्च 2015 तक पूरा हो जाने की आशा है। इस समय आलू का रेट 7 से 9 रूपए प्रति किलो चल रहा है जो कि अप्रैल के माह में 6 से 8 रूपए प्रति किलो चलने की आशा है।

पश्चिम बंगाल :

पश्चिम बंगाल से श्री पतित पाबन डे, अध्यक्ष, बेस्ट बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, लिखते है कि 25 मार्च 2015 तक 99 प्रतिशत क्षमता पश्चिम बंगाल की भर जायेगी। इस समय आलू के रेट 300 से 500 रूपए प्रति कुन्तल ज्योति के चल रहे है। और मार्च के अन्दर अन्दर पश्चिम बंगाल की पूरी भण्डारण क्षमता भर जाने की आशा की जाती है। उनके अनुमान से पश्चिम बंगाल में इस वर्ष 15 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन अधिक हुआ है और काफी आलू भण्डारण के बाद बचा रहेगा। आपको आशा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आलू का मात्र 400 रू प्रति कुन्तल रहेगा और शीतगृहों से आलू की निकासी मध्य मई तक सम्भव हो पायेगी।

गुजरात :

गुजरात सरकार ने भी अपने आलू उत्पादकों को अन्य प्रान्तों में आलू भेजने पर विशेष सुविधा प्रदान की है। प्रदेश सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष गुजरात मे करीब 5 लाख मीट्रिक टन आलू का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। आलू के गिरते बाजार जो कि 352 रूपए से 500 रूपए कुन्तल के बीच में चल रहा है को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया। सरकार की Agriculture Produce Marketing Committee के तत्वाधान में Registered Dealer को या किसानों को जो कि

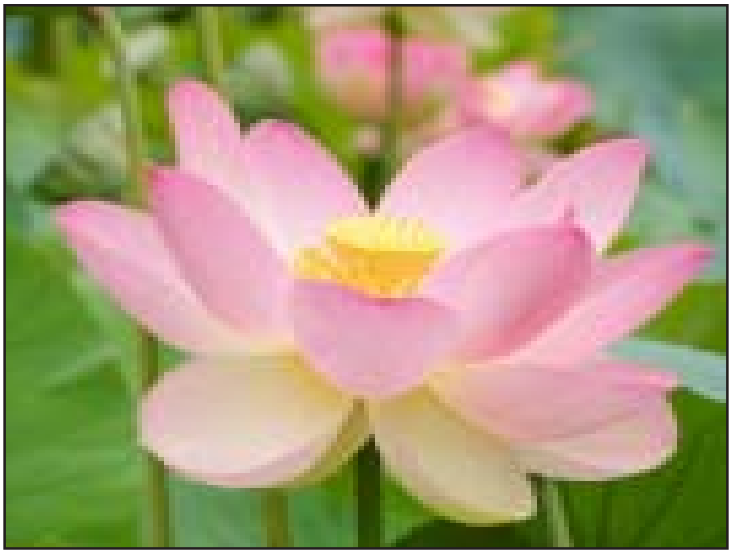

APMC से रजिस्टर्ड है यह छूट प्रदान की जायेगी। यह छूट यदि रेलवे से आलू भेजा जायेगा तो 1 रूपया 10 पैसे प्रति किलो से छूट भी भाड़े पर मिलेगी, यदि भाड़ा कम है तो छूट भी कम कर दी जायेगी। यदि आलू ट्रक द्वारा अन्य प्रान्तों में भेजा जाता है तो यह छूट 75 पैसे प्रति किलो तक होगी। यह सूचना हमें श्री आशीष गुरू, अध्यक्ष, गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने भेजी है।

उत्तर प्रदेश :

उत्तर प्रदेश में 90 प्रतिशत से ऊपर भण्डारण क्षमता भर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वर्षा के कारण खुदाई में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ है जिस कारण भण्डारण प्रथम सप्ताह अप्रैल तक चलने का अनुमान है। कुछ जनपदों में प्रायाप्त भण्डारण क्षमता न होने के कारण आलू बाहर ही रह जायेगा।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित